संपादकीय

परदेस से मोहभंग

यह खबर चौंकाने वाली है कि बीते साल विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में 25 फीसदी की कमी आई है। जबकि अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 36 और कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या में 34 फीसदी की कमी आई है। कमोबेश यही स्थिति ब्रिटेन की भी है। ये आंकड़े वर्ष 2024 के हैं। निश्चित तौर पर जब ट्रंप काल में उखाड़-पछाड़ के दौर के आंकड़े सामने आएंगे, तो वे ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। एक समय था कि छात्रों में परदेस जाकर पढ़ाई करने का जुनून उफान पर था। हर साल मां-बाप खून-पसीने की कमाई से और अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ने के लिये विदेश भेज रहे थे। कहीं-कहीं तो खेत बेचकर और घर गिरवी रखकर बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजने के मामले भी प्रकाश में आए। दरअसल, देश में बैंकों से एजुकेशन लोन मिलने की सुविधा ने भी छात्रों की विदेश यात्रा को सुगम बनाया। हर साल लाखों छात्र सुनहरे सपने लिये विदेश गमन कर रहे थे। ये जुनून पंजाब में विशेष रूप से देखा गया, जो कनाडा-अमेरिका आदि देशों में संपूर्ण भारत से जाने वाले छात्रों का साठ फीसदी था। जरूरी नहीं था कि ये सारे छात्र मेधावी थे और सब दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला पा रहे थे। इनमें कई विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जो सिर्फ विदेशी छात्रों से कमाई करने के मकसद से चलाए जा रहे थे। वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जो अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने वाले एजेंटों की कमाई का जरिया बने हुए थे। युवाओं को छात्र के रूप में इन देशों में भेजकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। दरअसल, धीरे-धीरे छात्रों और उनके अभिभावकों को हकीकत का अहसास होता चला गया। उन्होंने महसूस किया कि वे मोटा पैसा खर्च करके जैसे-तैसे डिग्री तो पा सकते हैं, लेकिन ये नौकरी व ग्रीन कार्ड की गारंटी नहीं है। हां, कुछ छात्र किसी तरह छोटे-मोटे काम-धंधे करके अपनी पढ़ाई का खर्चा व घर का कर्जा उतारने का जुगाड़ जरूर कर लेते थे। दरअसल, धीरे-धीरे अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों के दुराग्रहों व उनकी प्राथमिकताओं ने छात्रों को खुरदुरी जमीन के यथार्थ से रूबरू करा दिया। छात्रों को एजेंटों ने जो सब्जबाग दिखाए थे, उनकी हकीकत सामने आने लगी। इसके अलावा कोरोना काल के बाद बिखरती अर्थव्यवस्थाएं, नौकरी के आकर्षक प्रस्तावों में कमी, वीजा मिलने में हो रही दिक्कतें, इन देशों के गोरी चमड़ी वाले लोगों के भारतीयों पर बढ़े हमलों ने छात्रों में मोहभंग की स्थिति उत्पन्न कर दी। बीते साल अमेरिका में कई भारतीय छात्रों पर नस्लीय हमले हुए। कई छात्रों की हत्या हुई और अनेक घायल हुए। कनाडा व ब्रिटेन में भारत विरोधी अभियानों तथा कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये ने भी छात्रों का मोहभंग किया। वैसे देखा जाए तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बजाय हम हर साल अरबों रुपये इन देशों को भेज रहे थे।

विनोद शर्मा, संपादक

मुर्शिदाबाद हिंसा कांड पर कुछ अनुत्तरित सवाल

चेतनादित्य आलोक

दूसरा सवाल, यह कि राज्य और केंद्र की हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं कि तुर्की में बनी और बांग्लादेश के रास्ते मुर्शिदाबाद तक पहुंची योजना को हम विफल नहीं कर पाए। जब हिंसा के दौरान बांग्लादेश से भारत में 71-150 कॉल किए गए, तब हमने उन्हें इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। वास्तव में ये कुछ सवाल हैं, जिनके उत्तर मिलना अभी शेष हैं। बता दें कि यह पीड़ा केवल जानकी मंडल की नहीं, बल्कि वैष्णव नगर के स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहे लगभग 04 दर्जन हिंदू परिवारों की भी है, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता होगी कि मुर्शिदाबाद हिंसा कांड के सबसे अधिक पीड़ित और दुखी धुलियान कस्बे के लोग ही हैं। और ऐसा सोचने की भूल तो कदापि नहीं करनी चाहिए कि इस भयावह पीड़ा और संत्रास वाली निमर्म घटनाओं की चैहद्दी धुलियान कस्बे तक ही सीमित है, बल्कि सच तो यह है कि मुर्शिदाबाद के विभिन्न इलाकों से आने वाली इस पीड़ा और संत्रास की आर्त चीखें दूर-दूर तक किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए हृदय विदारक रही हैं। जाहिर है कि दु:ख-दर्द, निराशा, हताशा, बेबसी, लाचारी और आक्रोश से भरी बिल्कुल धुलियान के लोगों जैसी ही कहानियां कई अन्य इलाकों की भी है।

पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में वैसे तो वक्फ कानून का विरोध 08 अप्रैल से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद इलाके में माहौल अचानक तब बिगड़ गया, जब लगभग 150 लोगों ने मोहल्ले के निहत्थे और मासूम निवासियों जोरदार हमला कर दिया। जब 51 साल की बेबस और लाचार महिला जानकी मंडल ने फूट-फूट कर रोते हुए अपनी आंखों के सामने घटी घटना का टीवी पर वर्णन किया तो सचमुच बहुत दुःख हुआ। वह बता रही थीं कि बेकाबू भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगा दी। पुरुषों को मारा-पीटा और सबकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी-बहुओं और माताओं का मान लूटने की कोशिश की। उग्र भीड़ में शामिल आतताइयों ने मोहल्ले वालों को धमकी दी कि भाग जाओ, वरना मारे जाओगे और लाचार मोहल्ले वाले चुपचाप यह सब देखते-सुनते रहे। फिलहाल, अपने ही देश में मालदा के वैष्णव नगर स्थित एक स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहीं जानकी मंडल ने यह भी बताया कि कैसे वह अपनी इज्जत और जान बचाकर बच्चों के साथ वहां से भागी थीं। बता दें कि यह पीड़ा केवल जानकी मंडल की नहीं, बल्कि वैष्णव नगर के स्कूल में शरणार्थी बनकर रह रहे लगभग 04 दर्जन हिंदू परिवारों की भी है, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता होगी कि मुर्शिदाबाद हिंसा कांड के सबसे अधिक पीड़ित और दुखी धुलियान कस्बे के लोग ही हैं। और ऐसा सोचने की भूल तो कदापि नहीं करनी चाहिए कि इस भयावह पीड़ा और संत्रास वाली निमर्म घटनाओं की चैहद्दी धुलियान कस्बे तक ही सीमित है, बल्कि सच तो यह है कि मुर्शिदाबाद के विभिन्न इलाकों से आने वाली इस पीड़ा और संत्रास की आर्त चीखें दूर-दूर तक किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए हृदय विदारक

रही हैं। जाहिर है कि दुःख-दर्द, निराशा, हताशा, बेबसी, लाचारी और आक्रोश से भरी बिल्कुल धुलियान के लोगों जैसी ही कहानियां कई अन्य इलाकों की भी है। टीवी चैनलों की भीड़ में एक चैनल पर शमशेरगंज इलाके के प्रसेनजीत दास ने भी रोते-कलपते हुए अपनी आपबीती तथा आंखो देखी घटनाएं टीवी पर बताई। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के मृतकों में से दो लोग प्रसेनजीत दास के परिवार से ही थे। मृतकों में एक उनका चचेरा भाई हरगोविंद दास और दूसरा भतीजा चंदन था। प्रसेनजीत ने जैसा टीवी पर बताया उसके अनुसार 10 अप्रैल की रात में लगभग 400 लोगों की भीड़ तलवार और छुरियां लहराते हुए मोहल्ले में घुसी। भीड़ में शामिल आततइयों ने 25 से 30 घरों, होटलों, दुकानों आदि में तोड़-फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। आंखों में भय भरकर प्रसेनजीत ने बताया कि भीड़ बहुत उग्र थी, इसलिए हमलोग उनसे भीड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जो कुछ वे करते रहे हमलोग चुपचाप देखते रहे। उक्त घटना के संबंध में एक अन्य बेहद खौफजदां व्यक्ति ने बताया कि भीड़ की उग्रता और आतंक इतना था कि कोई कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इसलिए सभी अपनी-अपनी जान बचाकर भागने में ही लगे रहे। जाहिर है कि ये सभी आपबीती तथा आंखो देखी पीड़ा-व्यथाएं बिल्कुल सच्ची हैं। इनके अलावा, एक और सच, जिसे अब पूरी दुनिया जान और समझ चुकी है, वह यह कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी की 'ममता' अब तक नहीं जाग पाई है। जरा सोचिए, कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में हुई हिंसा में कम-से-कम 03 लोगों की जान चली गई, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हालांकि, इस मामले में अब तक 300 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 1600 जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। हिंसा प्रभावित शमशेरगंज के एक निवासी हबीबउर रहमान ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती के बाद इलाके में माहौल शांत है। वैसे, खबरें यह भी आ रही हैं कि प्रशासन ने लोगों से दुकानें खोलने और अनुशासन बनाए रखने की बात कही है। वहीं, पीड़ित हिंदू परिवारों ने बीएसएफ की स्थायी तैनाती की मांग की है। उनके भीतर उस उग्र भीड़ का ऐसा खौफ समाया है कि उन्हें लगता है कि यदि बीएसएफ हटी तो फिर से स्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी मृतकों और घायलों से मिलने उनके आंसू पोंछने के बजाए लगभग एक वर्ष के बाद होने वाले बंगाल चुनाव की गोटियां बिछाने में लगी हैं। जाहिर है कि यदि ऐसा नहीं होता तो वह कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर इमामों से मिलने के बजाए मुर्शिदाबाद हिंसा कांड के पीड़ित-प्रताड़ित, खौफजदां, बेबस और लाचार भुक्तभोगी परिवारों से मिलने, उनको मदद पहुंचाने और उनका दुःख-दर्द बांटने जातीं। यदि यह भी मान लें कि उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, तो कम-से-कम पीड़ितों को सांत्वना देने और ढाढ़स बंधाने के लिए वह अपना एक प्रतिनिधि ही भेज देतीं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। हां, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा उन्होंने अवश्य की है। बहरहाल, उक्त घटना के गर्भ से कुछ बेहद गंभीर सवाल उठे हैं, जो सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को कठघरे में खड़े करने की ताकत रखते हैं। जरा सोचिए, कि कहां तो हम बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करते नहीं अघाते थे, लेकिन हम तो अपने ही घर बंगाल के हिंदुओं की रक्षा कर पाने में असमर्थ साबित होने लगे हैं। और तो और, अब जांच एजेंसियां बता रही हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की योजना तुर्की में बनाया गया था, जिसे बांग्लादेश के रास्ते बंगाल तक पहुंचाया गया। यह भी, कि इसके लिए बाकायदा 02 महीने पहले ही ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें पुलिस से बचकर दंगा भड़काने और स्थानीय मदरसों से मदद लेने की भी बातें शामिल हैं। इस पर दो बेहद गंभीर सवाल बनते हैं। पहला, यह कि हम हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए किस मुह से यूनुस को दोष दें। उनसे कैसे कहें कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित और पीड़ित हैं, जबकि सच तो यह है कि हिंदू बंगाल में भी सुरक्षित नहीं हैं।

हर मोड़ पर हैरान करने वाले नज़ारों से मुलाकात

अलका 'सोनी'

गर्मियों की शुरुआत होते ही लोग किसी ठंडी और शांत जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऐसे में दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिल स्टेशन ऊटी पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान बनकर सामने आता है। नीलगिरि की पहाड़ियों में बसा यह शहर न सिर्फ़ अपनी ठंडी जलवायु, हरे-भरे चाय बागानों और होममेड चॉकलेट के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता, टॉय ट्रेन का रोमांच और ब्रिटिशकालीन विरासत हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। गर्मियों ने दस्तक दे दी है। गर्मियां आते ही तन-मन सुस्त होने लगता है। हम आलस से भर जाते हैं। इस आलस को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, घूमना। यह भी कहा जाता है कि पर्यटन द्वारा मिला ज्ञान, किताबों की सीखी विद्या से भी बढ़कर होती है। अब चूंकि अप्रैल महीना है तो इस मौसम में भी घूमना हमेशा सुकून देता है। ऐसे में आपको उन जगहों पर जाना चाहिए जो गर्मी से दूर हों। अगर आप ऐसी ही किसी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए हम अपने चर्चित हिल स्टेशन ले चलते हैं जहां जाकर आपके तन और मन,दोनों को ठंडक और ताजगी का एहसास होगा। गर्मियों में पहाड़ों के दिलकश नज़ारे और मौसम के कारण वहां घूमना सबको पसंद होता है। फिर पहाड़ों की बात हो तो सबसे पहले जेहन में ऊटी का नाम आता है। जिसकी खूबसूरत वादियों में अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। उन वादियों को अपनी खुली आंखों से देखना बेहतरीन अनुभव हो सकता है। ऊटी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यहां की नीलगिरि पहाड़ियों में बसा ऊटी (पुराना नाम ङ्क ऊटकमुंड) दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसे 'हिल स्टेशनों की रानी' कहा जाता है। ठंडी जलवायु, हरी-भरी घाटियां, सुगंधित चाय के बागान और ब्रिटिश काल की विरासत इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाते हैं। इसके अलावा यहां आने वाले लोगों को ऊटी के होम मेड चॉकलेट अपनी मिठास से मोहित कर देते हैं। संपूर्ण ऊटी प्राकृतिक रूप से सुंदरता से भरी है। ऊटी झील को उधगमंडलम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में, ऊटी शहर के पास स्थित एक कृत्रिम झील है। यह लगभग ढाई किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे 1824 में जॉन सुलिवन द्वारा बनवाया गया था। ऊटी झील पर बना बोटहाउस एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यहां आने वाले पर्यटक बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। यहां एक बगीचा और जेट्टी भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख दर्शक यहां आते हैं। इसे युनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इस टॉय ट्रेन में सफर करना किसी के लिए भी एक यादगार अनुभव होता है। यह कोयंबटूर से ऊटी तक हरी-भरी पहाड़ियों और सुरंगों से होकर गुजरती है। इसकी स्थापना 1891-1899 के बीच हुई थी। यह मेट्टुपालयम से ऊटी तक जाती है। जो कि लगभग 5 घंटे की यात्रा है। इस दौरान यह 209 मोड़ों, 16 सुरंगों और 250 पुलों से होकर गुजरती है। यह भारत की एकमात्र रैक रेलवे है। साथ ही यह भारत की सबसे धीमी ट्रेनों में से एक है। यह नीलगिरि की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से ऊटी का मनोरम दृश्य दिखता है। चोटी के चारों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ऊटी-कोटागिरी रोड पर ऊटी से 9 किमी दूर है। यहां स्थित टेलिस्कोप हाउस से दूर तक के नज़ारे देखे जा सकते हैं। यह अनमुदी और मीसापुलिमाला के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दरअसल डोडाबेट्टा शब्द कन्नड़ से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'बड़ी पहाड़ी'। ऊटी बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1848 में विलियम ग्राहम मैकइवर ने की थी, जो एक ब्रिटिश बागवानी विशेषज्ञ थे। उन्हें इस उद्यान का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस उद्यान को इतालवी शैली में डिज़ाइन किया था, जिसमें आकर्षक छतें, फव्वारे, तालाब और लॉन थे। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई विदेशी और सजावटी पौधे भी लगाए। यह 55 एकड़ में फैला हुआ एक खूबसूरत उद्यान है, जहां दुर्लभ पौधों की प्रजातियां और 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म वृक्ष देखा जा सकता है। इस उद्यान में पौधों, पेड़ों और फूलों की 650 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ दुर्लभ और विदेशी हैं। इस उद्यान में कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण भी हैं, जैसे कि टोडा पहाड़ी, और हर साल होने वाली वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी।

आखिर न्यायपालिका को सुपर संसद के रूप में काम करने की इजाजत किसने दी?

कमलेश पांडे

भारतीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका में पारस्परिक टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जनहित में होना और दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से अपनी नाकामियों और चरित्रहीनता को छिपाने के लिए ये लोग संवैधानिक नियमों का दुरूपयोग कर रहे हैं, वह किसी वैचारिक त्रासदी से कम नहीं है। देश के प्रबुद्ध लोगों को इन संवैधानिक कमियों को पहचानना चाहिए और उसपर अविलंब लीगल सर्जिकल स्ट्राइक करने का दबाव भारतीय संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर बनाना चाहिए।इस बात में कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे, विधि-व्यवस्था को बनाए रखने और उसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सबको समान रूप से गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं मुहैय्या करवाने में हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों असफल साबित हुए हैं और इनके ऊलजलूल तर्कों से देश इस्लामिक चरमपंथियों के नापाक मंसूबों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है! राष्ट्रपति शासन, आरक्षण विवाद, भाषा विवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि सुलगते सवालों पर राष्ट्र का सही मार्गदर्शन करने में भी ये संस्थाएं विफल प्रतीत हो रही हैं। ऐसे में इनकी नकेल कसने के लिए भारतीय संविधान कभी कारगर साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह खुद साम्राज्यवादी मानसिकता वाले विरोधाभासों से भरा पड़ा है। ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यह टिप्पणी वाजिब है कि न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने, और सुपर संसद के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने इस विषय को

लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जो उनके प्रबुद्ध होने का परिचायक है। देश के विश्वविद्यालयों और अन्य पेशेवर संगठनों को इन पर गौर फरमाते हुए आम राय कायम करने की जरूरत है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता! उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आरोप लगाया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है और कहा है कि, हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका के काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को कहा कि हाल ही में जूडिशरी के एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिये जाने की पनपी नई प्रवृत्ति पर ठीक ही सवाल किया कि हम किस दिशा में जा रहे है? हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। धनखड़ ने यह टिप्पणी राज्यसभा के ट्रेनीज को संबोधित करते हुए की। उन्होंने ठीक ही कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि यह निर्देश किस आधार पर दिए जा रहे हैं? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण पर कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार संसद के प्रति तथा चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका फले-फूलें। किसी एक के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने ठीक ही कहा कि अगर यह घटना आम आदमी के घर पर हुई होती, तो मामले में रॉकेट की रफ्तार से एफआईआर दर्ज की जाती। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर धकेलने का सबसे पुख्ता तरीका उसे जांच से सुरक्षा की पूर्ण गारंटी प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाइकोर्ट के एक जज के घर मिले कथित कैश की ओर इशारा करते हुए उस पर लीपापोती की नाजायज प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। धनखड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि हाई कोर्ट के एक जज के घर से मिले कैश से जुड़े मामले में एफआईआर न होना आमलोगों के सवालों के घेरे में है। इसलिए सवाल उठाया कि क्या कानून से परे एक श्रेणी को अभियोजन से छूट है। उन्होंने ठीक ही कहा कि जूडिशरी की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। एक पत्रकार के रूप मेरी भी व्यक्तिगत राय है कि न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक पुलिस और पत्रकारिता के भ्रष्टाचार की जांच के लिए मीडिया पुलिस का अविलंब गठन किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को स्वनियमन बनाने और लागू करने की छूट नहीं दी जाए। इसलिए यहां पर सवाल उठता है कि आखिर न्यायपालिका को सुपर संसद के रूप में काम करने की इजाजत किसने दी? मेरा स्पष्ट मानना है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त भारी जनसमर्थन का रणनीतिक दुरूपयोग किया, जिससे न्यायपालिका को विधायिका को दुरुस्त करने का मौका मिल गया, जो अनुचित नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदि को वोट बैंक के लिहाज से जनविरोधी या राष्ट्र विरोधी फैसले लिए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में मजबूत व स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। लेकिन भ्रष्ट न्यायपालिका कतई नहीं! देश में फैला न्यायिक भ्रष्टाचार हमारी विधायिका की लगभग 8 दशकों की बड़ी लापरवाही है। वहीं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में भी विधायिका का परोक्ष रूप से हिस्सेदार बन जाने की प्रवृत्ति भी अस्वीकार्य है। सारे टकराव की वजह भी यही भ्रष्ट और अनैतिक आचरण है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय संविधान से नौंवी अनुसूची को हटाकर उसमें शामिल किए गए सभी विषयों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, ताकि राजनीतिक मनमानी रूके।

घर के लिए पुराना फर्नीचर खरीदने से पहले जान लें ये बातें, वरना हो सकता है नुकसान

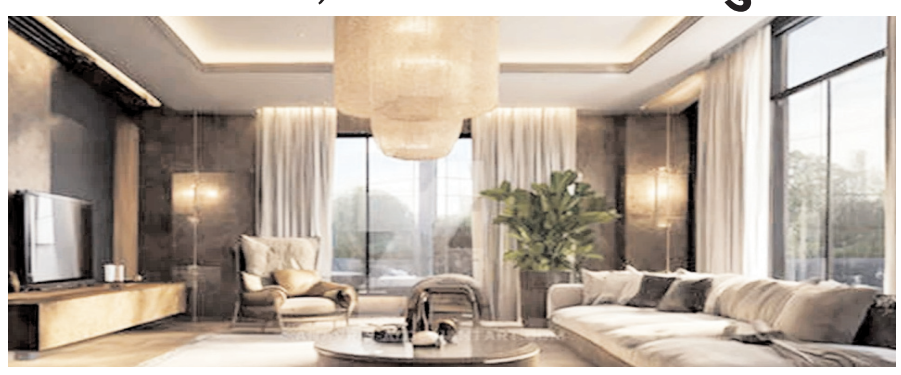

अनन्या मिश्रा

हमारे घर का फर्नीचर एनर्जी को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। माना जाता है कि घर में मौजूद हर चीज मुख्य रूप से फर्नीचर आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक असर डाल सकता है। कई बार हम ऐसा फर्नीचर ले आते हैं, जो देखने में तो काफी अच्छा लगता है लेकिन यह वास्तव में पहले किसी के द्वारा इस्तेमाल किया होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक पुराने फर्नीचर के अपने कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जो आपके घर की सुख-शांति, समृद्धि और सद्भाव को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा फर्नीचर के रूप में हमेशा नई चीजें लाने की सलाह दी जाती है। बताया जाता है कि किसी भी नए सामान में ऐसी ऊर्जा होती है, जो घर की अन्य चीजों को बेहतर बनाता है। वहीं पुराना फर्नीचर घर में रखने से घर में अशांति हो सकती है और झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुराना या किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया फर्नीचर घर में लाने से क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

बुरी ऊर्जा: माना जाता है कि अक्सर पुराने फर्नीचर में पिछले मालिकों की भावनाएं समाहित होती है। फिर चाहे यह ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह आपके घर की एनर्जी को प्रभावित कर सकती है। अगर पुराना फर्नीचर किसी ऐसे घर का हिस्सा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य समस्याएं, संघर्ष और वित्तीय नुकसान का अनुभव हुआ है, तो यह एनर्जी आपके घर में फर्नीचर के जरिए आ सकती है।

नकारात्मक ऊर्जा: वास्तु के मुताबिक पुराना फर्नीचर पिछले मालिकों और उस वातावरण की ऊर्जा का वहन करता है। अगर पुराना फर्नीचर नकारात्मक घटनाओं, विवादों या तनाव वाली जगह का हिस्सा था, तो यह एनर्जी नए स्थान को भी प्रभावित कर सकता है। भले ही यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पुराना फर्नीचर कई बार नकारात्मक एनर्जी का स्त्रोत हो सकता है। ऐसे में इसके जरिए आपके घर में किसी दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। जब आप घर में पुराना फर्नीचर रखते हैं, तो यह पॉजिटिव एनर्जी को बाधित कर सकता है। जिससे सुख-शांति और समृद्धि में कमी आ सकती है। घर की आर्थिक स्थिति हो सकती है प्रभावितः वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में टूटा-फूटा फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। साथ ही यह आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर सकता है। यह फर्नीचर न सिर्फ घर की सुंदरता को कम करता है, बल्कि सुख-शांति और समृद्धि में भी बाधा बन सकता है। क्योंकि पुराना और टूटा-फूटा फर्नीचर वित्तीय अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में अनावश्यक खर्च, धन की कमी और अप्रत्याशित आर्थिक समस्याओं की वजह बन सकता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने और आर्थिक समृद्धि के लिए पुराने और टूटे हुए फर्नीचर का मरम्मत कराए या फिर इसे हटा दें।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059